रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261493
CG-DL-E-07032025-261493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2025/फाल्गुन 15, 1946
No. 1090] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

का.आ.1098(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 146(अ), तारीख 11 जनवरी, 2022 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमणत से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) थिरु. सैयद मुज़म्मिल अब्बास -अध्यक्ष;
मार्फत् सैयद असगर अली,
ब्लॉक ए फ्लोर 8, फ्लैट नं. 3,
नेरकुन्द्रम एआईएस आवास योजना,
पश्चिम नटेसन नगर,
विरुगमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600 092

(ii) डॉ. वासुदेवन नमसिवायम -सदस्य;
पुत्र नमसिवायम,
प्लॉट नं. 247, दरवाजा नं.13/1,
4वां एवेन्यू, इंदिरा नगर, अडयार, चेन्नई,
तमिलनाडु – 600020

(iii) निदेशक, पर्यावरण -सदस्य सचिव ।
और जलवायु परिवर्तन विभाग

2. प्राधिकरण पैरा 4 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जांएगे और साधारणतया सर्वसम्मत होंगे :

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जांएगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

4. केंद्रीय सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-1

(i) थिरु.पीडब्लूसी दविदर, -अध्यक्ष;
पुत्र जिम्मी दविदर
नं.1008, 7वीं स्ट्रीट,
मैगाप्पैर एरी योजना,
मोगाप्पैर,
चेन्नई – 600007

(ii) थिरु एम. कंदन, -सदस्य;
पुत्र मुनियप्पन,
ई 82, 12वीं वेस्ट स्ट्रीट, कामराज नगर,
तिरुवन्मियूर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600041

(iii) थिरु.एस. रघुपति, -सदस्य;
पुत्र संगानन,
नं.23, डी आदित्य अपार्टमेंट,
नैटको कॉलोनी मिडिल स्ट्रीट,
कोट्टिवक्कम, तिरुवन्मियूर, चेन्नई,
तमिलनाडु – 600041

(iv) थिरु अशोक कृष्णमूर्ति , -सदस्य;
पुत्र कृष्णमूर्ति,
47, अय्यनार सन्नथी स्ट्रीट,
मुथुपट्टनम तीसरी स्ट्रीट,
कराईकुडी, शिवगंगा, तमिलनाडु - 630001

(v) डॉ. के. पलानीवेलु, -सदस्य;
प्रोफेसर,
पर्यावरण अध्ययन केंद्र,
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई - 600 025

(vi) डॉ. वेंकटेशन, -सदस्य;
मार्फत् एस रामासामी,
बी 9, अच्युतांस लोटस मैनर, साउथ एवेन्यू,
कामराज नगर, तिरुवन्मियूर,
चेन्नई, तमिलनाडु – 600041

(vii) थिरु के. राममोहन, -सदस्य;
पुत्र कोठांडापानी,
15, 11वीं एवेन्यू,
अशोक नगर, चेन्नई, तमिलनाडु - 6000 83

(viii) थिरु पलानीवेल रामासामी, -सदस्य;
5/164, सेलम मेन रोड,
अलगापुरम, पलानियापुरी पी.ओ.,
सलेम ग्रामीण, तमिलनाडु– 636108

(ix) उप निदेशक (आईए), -सदस्य सचिव ।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-2

(i) डॉ. वेल्लाईसामी पलानीकुमार, -अध्यक्ष;
पुत्र अरुमुगम वेल्लाईसामी,
12, दूसरी क्रास स्ट्रीट, लेक एरिया,
नुंगमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600034

(ii) थिरु टी. मुरुगनंदम, -सदस्य;
पुत्र थानुकोडि,
फ्लैट नं.सी, दरवाजा नं.104, ओक कैनोपी अपार्टमेंट नं.8,
राजा स्ट्रीट, कल्लीमदाई, सिंगनल्लूर,
कोयंबटूर दक्षिण, कोयंबटूर, तमिलनाडु – 641005

(iii) डॉ. आर. राजमणिकम, -सदस्य;
मार्फत् पी एम रामासामी,
डी 16-203, पूर्वा विंडरमेयर अपार्टमेंट,
भवानी अम्मन कोविल स्ट्रीट,
सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने,
पल्लीकरनई,कांचीपुरम जिला 600100

(iv) थिरु. शिवलिंगम सुब्बायन, -सदस्य;
पुत्र सुब्बायन,
एफ-306, विस्टेरिया अपार्टमेंट,
1089, अविनाशी रोड, लक्ष्मी मिल्स,
चंद्रा हुंडई के सामने, कोयंबटूर – 641037

(v) डॉ. अरुण सेंथिल राम गोविंदराज, -सदस्य;
मार्फत् गोविंदराज,
नंबर 40, अम्मान नगर 10 वीं स्ट्रीट, थिरुवेरुम्बुर तालुक, एलाकुडी,
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620019

(vi) थिरु. जयाबलान पेरियासामी, -सदस्य;
पुत्र पेरियासामी,
प्लॉट नंबर 20, न्यू देवराज गार्डन,
कोलापक्कम, कांचीपुरम, तमिलनाडु- 600048

(vii) थिरु. आर.सूर्यमूर्ति, -सदस्य;
पुत्र रामायन,
संख्या 65/14ए,
नवलार हाई रोड, देवराज नगर,
सालिग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600093

(viii) डॉ. सुरेश गांधी, -सदस्य;
पुत्र मरिमुथु,
नं. 9, तीसरा मुख्य मार्ग,
मदुरावॉयल पोस्ट, श्रीकृष्ण नगर,
मदुरावोयाल, अम्बत्तूर,
तिरुवल्लुर, तमिलनाडु - 600095

(ix) उप निदेशक (ईईए), -सदस्य-सचिव ।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

5. निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) के अधीन निर्दिष्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट जिलों पर अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, अर्थात : ––

सारणी

क्र.सं.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -1	तिरुवल्लूर, चेन्नई, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, कृष्णागिरी, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, चेंगलपट्टू, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, इरोड, सलेम, कुड्डालोर, नामक्कल, पेरम्बलुर, अरियालुर और नीलगिरी जिले ।
2.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -2	कोयंबटूर, तिरुपुर, करूर, त्रिची, तंजावुर, तिरुवरुर, डिंडीगुल, पुदुकोट्टई, थेनी, मदुरै, शिवगंगई, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी, नागापट्टिनम, मायलादुथुराई और तिरुनेलवेली जिले ।

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

8. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, --

(i) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, तथा समिति, -

(क) यह घोषणा करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन के साथ सहयुक्त रहे हैं और परियोजना प्रस्तावक भी रहे हैं।

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा अंकन किया जाना है।

(ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन सकती है, तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा।

10. तमिलनाडु राज्य सरकार प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए अभिकरण विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अधीन आवास परिवहन और उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते तमिलनाडु सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फ़ा. सं. आईए3-1/4/2021-आईए.III]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

S.O. 1098 (E).——In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in suppression of the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O 146(E), dated the 11th January, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Tamil Nadu (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: ——

(i) Thiru.Syed Muzammil Abbas -Chairman;
C/o Syed Asghar Ali,
Block A Floor 8, Flat No.3,
Nerkundram AIS Housing Scheme,
West Natesan Nagar,
Virugambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600 092

(ii) Dr. Vasudevan Namasivayam -Member;
S/o Namasivayam,
Plot No. 247, Door No.13/1,
4th Avenue, Indira Nagar, Adayar, Chennai,

Tamil Nadu – 600 020

(iii) Director, Department of Environment and Climate Change -Member Secretary.

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committees constituted under paragraphs 4.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes following State Level Expert Appraisal Committees for the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the Committees) comprising of the following persons, namely: ——

State Level Expert Appraisal Committee-1

(i) Thiru.PWC Davidar, -Chairman;
S/o Jimmy Davidar
No.1008, 7th Street,
Magappair eri Scheme,
Mogappair,
Chennai – 600 007

(ii) Thiru M. Kandan, -Member;
S/o Muniyappan,
E82, 12th West Street, Kamaraj Nagar,
Thiruvanmiyur, Chennai, Tamil Nadu – 600041

(iii) Thiru.S. Ragupathi, -Member;
S/o Sanganan,
No.23, D Aditya Apartments,
NATCO Colony Middle Street,
Kottivakkam, Tiruvanmiyur, Chennai,
Tamil Nadu – 600 041

(iv) Thiru Ashok Krishnamoorthy, -Member;
S/o Krishnamoorthy,
47, Ayyanar Sannathi Street,
Muthuppattanam 3rd Street,
Karaikudi, Sivaganga, Tamil Nadu – 630 001

(v) Dr. K. Palanivelu, -Member;
Professor,
Centre for Environmental Studies,
Anna University, Chennai – 600 025

(vi) Dr. Venkatesan, -Member;
C/o S Ramasamy,
B 9, Acchyuthans Lotus Manor, South Avenue,
Kamaraj Nagar, Thiruvanmiyur,
Chennai, Tamil Nadu – 600 041

(vii) Thiru K. Rammohan, -Member;

S/o Kothandapani,
15, 11th Avenue,
Ashok Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 6000 83

(viii) Thiru Palanivel Ramasami, -Member;
5/164, Salem Main Road,
Alagapuram, Palaniyapuri PO,
Salem Rural, Tamil Nadu– 636 108

(ix) Deputy Director (IA), -Member Secretary.
Department of Environment and Climate Change

State Level Expert Appraisal Committee-2

(i) Dr. Vellaisamy Palanikumar, -Chairman;
S/o Arumugam Vellaisamy,
12, 2nd Cross Street, Lake Area,
Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu– 600 034

(ii) Thiru T. Muruganandam, -Member;
S/o Thanukkodi,
Flat No.C, Door No.104, OAK Canopy Apartment No.8,
Raja Street, Kallimadai, Singanallur,
Coimbatore South, Coimbatore, Tamil Nadu – 641 005

(iii) Dr. R. Rajamanickam, -Member;
C/o P M Ramasamy,
D 16-203, Purva Windermere Apartments,
Bhavani Amman Kovil Street,
Opposite Government Higher Secondary School, Pallikaranai,
Kancheepuram district 600 100

(iv) Thiru. Sivalingam Subbaiyan, -Member;
S/o Subbaiyan,
F-306, Wisteria Apartment,
1089, Avinashi Road,Lakshmi Mills,
Opposite to Chandra Hundai, Coimbatore – 641 037

(v) Dr. Arun Senthil Ram Govindaraj, -Member;
C/o Govindaraj,
No.40, Amman Nagar 10th Street, Thiruverumbur Taluk, Ellakudy,
Tiruchirappalli, Tamil Nadu – 620 019

(vi) Thiru Jayabalan Periyasamy, -Member;
S/o Periyasamy,
Plot No.20, New Devaraj Garden,
Kolapakkam, Kancheepuram, Tamil Nadu- 600 048

(vii) Thiru.R. Sooriamoorthy, -Member;
S/o Ramaian,
No.65/14a,
Navalar High Road, Devaraj Nagar,
Saligramam, Chennai, Tamil Nadu – 600 093

(viii) Dr. Suresh Gandhi, -Member;
S/o Marimuthu,
No.9, 3rd Main Road,
Maduravoyal Post, Sri Krishna Nagar,

Maduravoyal, Ambattur,
Tiruvallur, Tamil Nadu – 600 095

(ix) Deputy Director (EEA), Department of Environment and Climate Change -Member Secretary.

5. The State Level Expert Appraisal Committees specified under column (2) of the following Table shall exercise jurisdiction over districts specified in the corresponding entry under column (3) of the said Table, namely:——

TABLE

S. No.	State Level Expert Appraisal Committee	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State Level Expert Appraisal Committee -1	Tiruvallur, Chennai, Vellore, Ranipet, Kanchipuram, Krishnagiri, Tirupattur, Tiruvannamalai, Chengalpattu, Dharmapuri, Villupuram, Kallakurichi, Erode, Salem, Cuddalore, Namakkal, Perambalur, Ariyalur and the Nilgiris districts.
2.	State Level Expert Appraisal Committee -2	Coimbatore, Tirupur, Karur, Trichy, Thanjavur, Thiruvarur, Dindigul, Pudukottai, Theni, Madurai, Sivagangai, Ramanathapuram, Virudhunagar, Tenkasi, Kanyakumari, Thoothukudi, Nagapattinam, Myladuthurai and Tirunelveli districts.

6. The Chairman and Members of the Authority and the Committees, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The Authority and the Committees shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. In order to avoid any conflict of interest,——

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committees shall,——

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committees during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committees have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committees as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committees shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if cannot be reached consensus, the views of the majority shall prevail.

10. The State Government of Tamil Nadu shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committees which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committees shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Tamil Nadu.

[F. No. IA3-1/4/2021-IA.III]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.07 10:52:49 +05'30'